

जैव विविधता विरासत स्थल

जैव विविधता विरासत स्थल

घोषणा करने वाला प्राधिकरण

'जैव विविधता अधिनियम, 2002' की धारा 37(1) के तहत, राज्य सरकार समय-समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को बीएचएस के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

प्रतिबंध

बीएचएस का निर्माण स्थानीय समुदायों के प्रचलित प्रथाओं और उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। हालाँकि उनकी स्वीकृति से कुछ प्रतिबंध लगे जा सकते हैं।

भारत में कुल BHS

नवंबर 2022 तक, भारत में 35 बीएचएस हैं।

जैव विविधता विरासत स्थल (BHS)

जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे, सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैव विविधता वाले अथवा अधिक विशेषता युक्त समुद्री पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं।

प्रथम और नवीनतम शामिल बीएचएस



पहला

बेंगलुरु, कर्नाटक में नल्लूर टेमेरिंड ग्रोव (जनवरी 2007)



नवीनतम

मदुरै, तमिलनाडु में अरिद्रापट्टी (नवंबर 2022) (भारत का 35वाँ बीएचएस)


हाल ही में शामिल किये गए 5 BHS



त्रिपुरा में डेबरी या छबिमुड़ा (सितंबर 2022)



बेटलिंगशिब और त्रिपुरा में इसके आसपास का क्षेत्र (सितंबर 2022)



असम में हाजोंग कछुआ झील (अगस्त 2022)



असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट (अगस्त 2022)



मध्य प्रदेश में अमरकंटक (जुलाई 2022)



